कार्यालय वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उत्तर प्रदेश, गोण्डा।

पत्रॉक-3684 /33-1, दिनांक, गोण्डा, जून 07 /2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः- बहराइच-गोण्डा मार्ग एस0एच0-30 के किमी0 4.150 से किमी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/14236/2021)

संदर्भः- आपका पत्रांक-3703/11-सी- FP/UP/ROAD/14236/2021 दिनॉक 24.05.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सादर अवगत कराना है कि बहराइच-गोण्डा मार्ग एस0एच0-30 के किमी0 4.150 से किमी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव आपको भेजा गया था, जिस पर आप द्वारा आपतियॉ लगायी गई थी, जिसका निराकरण करने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग को निर्देशित किया गया। तत्कम में प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा ने अपने पत्रॉक-3921/33-1, दिनॉक 26.05.2023 व प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच ने अपने पत्रॉक-5828/2-6, दिनॉक 31.05.2023 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती ने अपने पत्रॉक-2951/33-1, दिनॉक 01.06.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 04-04 प्रतियों मे इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव 03-03 प्रतियॉ व पेंनड्राइव सहित मूल में संलग्नकर आपकी सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

<u>संलग्नकः-प्रस्ताव 03-3 प्रतियॉ व पेनड्राइव सहित मूल में।</u>

भवदीय,
7/6/23
(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

पत्रॉक- /अ उक्त दिनॉकित।

प्रतिलिपिः-प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

D:\office 07-07-2018\OFFICE 02-05-2018\court case\VFC Genral forwding .docx ram lal

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।
पत्रांक 3921 /33-1, दिनांक, गोण्डा, मई 26/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

विषयः– बहराइच–गोण्डा मार्ग एस0एच0–30 के कि0मी0 4.150 से कि0मी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में गोण्डा वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 32.0352 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 3703/11सी0 दिनांक 24.05.2023 पर पृष्ठांकित आपका पत्रांक 3584/33–1 दिनांक 25.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर अपने कार्यालय के पत्रांक 149/3सी0/2023 दिनांक 25.05.2023 द्वारा अवगत कराया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	आपत्तियों का विवरण	उत्तरालेख
1	लागत लाभ विशलेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण है। अतः सही दर के अनुसार लागत लाभ विशलेषण संलग्न कर ऑनलाइन भाग–1 में अपलोड करें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने उक्त पत्र सं0–149/3सी0/2023 दिनांक 25.05.2023 द्वारा संशोधित प्रस्ताव 5 प्रतियों में संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। जिससे सम्बन्धित 4 प्रति आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	उपरोक्त अनुसार संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर संलग्न है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– प्रस्ताव की हार्डकापी 4 प्रतियों में।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

V.Fc

S.FGnds
31/5/23

vfc1038

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।
पत्रांक 5828/2–6, दिनांक, बहराइच, मई, 31/ /2023.

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त,
उ0प्र0, गोण्डा।

विषय:– **बहराइच–गोण्डा मार्ग एस0एच0–30 के कि0मी0 4.150 से कि0मी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन एवं श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Road/147236/2021)**

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–3703/11–सी–FP/UP/Road/147236/2021, दिनांक 24–05–2023 तथा आपका पत्रांक–3584/33–1, दिनांक 25–05–2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निवेदनपूर्वक अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगायी है, जिसका निराकरण कर कार्यालय अधिशासी अभियन्ता बाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो0नि0वि0, बहराइच ने अपने पत्रांक–146/3सी/2023 दिनांक 25–05–2023 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	कमियॉं	आख्या
1	2	3
1	लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण है। अतः सही दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर आनलाईन भाग–1 में अपलोड करें।	उपरोक्तानुसार सही एन0पी0वी0 दर के अनुसार संशोधित प्रस्ताव पॉच प्रतियों में संलग्न है तथा ऑनलाइन भाग–1 में अपलोड कर दिया गया है।
2	पेनड्राइव में अपलोड के0एम0एल0 एवं पी0डी0एफ0 फाइल ओपन नही हो रही है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल एवं सम्बन्धित सी0ए0 एवं प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	उपरोक्तानुसार संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल एवं सम्बन्धित सी0ए0 एवं प्रस्तावित वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर संलग्न है।

अतः उक्त बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण कर सम्बन्धित अभिलेखों की 04 प्रतियॉं मूल में प्रस्ताव के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोपरि।

V.F.C

भवदीय

(संजय शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

पत्रांक..................अ/दिनांकित ।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती।

(संजय शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

SH-30 Project/Nigam Latter-20

Scanned with CamScanner

कार्यालय– प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती

पत्रांक 2951 / 33–1, दिनांक श्रावस्ती जून, 04 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त,
उ0प्र0 गोण्डा।

विषयः– Improvement of Bahraich-Gonda section of State Highway No. 30 from Km 4+150 to Km 64+282 fo SH-30 in Bahraich and Gonda Districs in the State of Utter Pradesh (FP/UP/ROAD/147236/2021)

सन्दर्भः– आपका पत्रॉक–3584/33–1, दिनांक 25.06.2023

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में संशोधित प्रस्ताव का आनलाईन परिवेश पोर्टल पर फीड कर दिया गया है। प्रस्ताव की हार्ड कापी एवं पेनड्राईव चार–चार प्रतियों में मूल में संलग्नकर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

क्र0सं0	आपत्तियों का विवरण	उत्तरालेख
1	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रस्तावित परियोजना वन भूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र में पुनः प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
2	लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण है। अतः सही दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर आनलाईन भाग–1 में अपलोड करें।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पुनः प्रतिहस्ताक्षरित हैं।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में संलग्न किया गया मार्ग चौडीकरण का स्टैण्र्ड क्रास सेक्शन पर प्रभागीय वनाधिकारी के पुनः हस्ताक्षर नहीं है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में गजट नोटीफिकेशन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारापुनः सत्यापित नहीं है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में 10 कि0मी0 परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्धी प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ न यिे जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु इस पर पुनः प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
8	रोड साइट पट्टी वृक्षारापेण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किनतु प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा पुनः प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
9	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक 7 एवं हार्ड कापी भाग–2 के कमांक–9 में विवरण पुनः भिन्न–भिन्न अंकित है।	आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।
10	अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेन ड्राइव में अपलोड कर पस्ताव में संलग्न करें।	अपलोड कर दिया गेया है।

V F.C

भवदीय

(धर्मेन्द्र नाथ सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
श्रावस्ती वन प्रभाग श्रावस्ती।

S. F. Gonda
5/6/23

Van Bandobast doc-2020-21

Scanned with CamScanner